

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
पत्रांक—2397 FP/UK/ROAD/9428/2015 :देहरादून:दिनांक: 15 फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद—अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावनर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी/यू.सी.पी./06/70/2014/एफ.सी./2407 दिनांक 05-02-2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा Online सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 20-11-2015 के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1796/FP/UK/ROAD/9428/2015 18-12-2015 के द्वारा भारत सरकार को आफ लाईन प्रेषित की गई है। भारत सरकार के Online सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के क्रम में Online सूचना प्रेषित की जा रही है। है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,



(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
पत्रांक- 1796 FP/UK/ROAD/9428/2015 :देहरादून:दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु  
6.1863 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र  
संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/70/2014/एफ0सी0/1944 दिनांक 20-11-2015

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे  
प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय सूचना चाही गई हैं। उक्त पत्र के अनुपालन में प्रभागीय  
वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1746/12-1 दिनांक 17-12-2015 के द्वारा  
प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित  
किया जा रहा है :-

1. बिन्दु संख्या-1 के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र  
भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक  
2179/3सी(वन भूमि) दिनांक 17-12-2015 के द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है, जिसकी  
प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत  
करने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय

(एस0टी0एस0 लेफ्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1796 FP/UK/ROAD/9428/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेफ्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

9/c

9

